न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़राज0)

पीठासीन अधिकारी :– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 58/2021
GCMS NO.- 2021/00135

अनवान

1. शौकिन पिता बसन्तीलाल उर्फ बसन्त कुमार, जाति दायमा, आयु वयस्क, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. कमलेश पिता बसन्तीलाल उर्फ बसन्त कुमार, जाति दायमा, आयु वयस्क, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. इन्द्रा बाई बेवा बसन्तीलाल उर्फ बसन्त कुमार, जाति दायमा, आयु वयस्क, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. ओम प्रकाश पिता रामलाल, जाति दायमा, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
5. दौलतराम पिता हीरालाल, जाति दायमा, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
6. रामनारायण पिता हीरालाल, जाति दायमा, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
7. तुलसी बाई पिता हीरालाल, जाति दायमा, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक – 28.09.2021

श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा, अधिवक्ता वादीगण, उपस्थित
पैराकार सरकार, उपस्थित

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि [illegible] ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधिनियम का प्रस्तुत कर [illegible] है कि वादीगण के स्वामित्व, स्वत्व व आधिपत्य की आराजीयात वाके मौजा कनेरा की कृषि आर[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:16 IST
Reason: SelfAttested

जिसके नवीन आराजी नं. 4127/650 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी नं. 229 रकबा 7 बीघा है। उक्त भूमि वादीगण के कर्ता खानदान हीरालाल पिता घीसालाल दायमा को दिनांक 05.05.1981 को आवंटित हुई थी। तभी से उक्त भूमि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की चली आ रही है। इसके पुराने आराजी नं. 229 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा थे जिसमें से वादीगण को 7 बीघा आराजीयात का आवंटन दिनांक 05.05.1981 को उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा किया गया था। वक्त आवंटन से ही वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में उक्त भूमि वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है जबकि भूमि आवंटन को करीब 40 वर्ष हो चुके हैं परन्तु अभी तक वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी से भूमि खातेदारी दर्ज करने हेतु निवेदन किया परन्तु वादीगण को खातेदारी शीघ्र दर्ज करने हेतु आश्वासन दिया परन्तु आदिनांक तक खातेदारी दर्ज नहीं की है। वादीगण निर्धन व गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास यह आराजीयात ही एकमात्र आजीविका का साधन है। वादीगण द्वारा आवंटन की शर्तों को पूर्ण कर लगातार 40 वर्ष से खेती की जा रही है परन्तु प्रतिवादी द्वारा वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं करने के कारण उक्त वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। वादीगण विवादित भूमि के गैर खातेदार भी हैं, विवादित भूमि वादीगण को विधिवत आवंटित भी हुई थी तथा लगातार 40 वर्ष से कब्जे के आधार पर भी वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए वादीगण को भूमि आवंटित होना स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि यह आराजी पूर्व आराजी नं. 650 का ही भाग थी जिसे न्यायालय आदेश दिनांक 25.11.2019 से जरिये नामान्तकरण संख्या 816 दिनांक 14.10.2020 से वादीगण के नाम दर्ज की गई। मौके पर वादीगण का कब्जा आराजी नं. 4127/650 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि पर विगत 35–40 वर्ष से चला आ रहा है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन किया गया हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी के कर्ता खानदान हीरालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:16 IST
Reason: SelfAttested

पिता घीसालाल दायमा को दिनांक 05.05.1981 को साबिक आराजी नं. 229 में से 7 बीघा भूमि आवंटित होना साबित है। उक्त भूमि के नवीन नम्बर 4127/650 रकबा 1.5100 हैक्टेयर है जिस पर वादीगण का कब्जा 35–40 साल से होना अंकित है। वादीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने के उपरान्त भी उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज नहीं किये जाने का कोई उचित कारण प्रकट नहीं होता है। वादीगण के वाद को स्वीकार किये जाने के पर्याप्त कारण वाद पर उपस्थित है। वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा कनेरा की आराजी नं. 4127/650 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज करवाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:16 IST
Reason: SelfAttested